

MSTP/DY.No-5
1

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

Notification

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O.------(E). In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Rajasthan State Pollution Control Board', a Board constituted under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) of Rajasthan State Legislature in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) amount received in the form of government grants;
- (b) amount received as license fees and fines;
- (c) interest earned on government grants, license fees and fines.

2. This notification shall be applicable for the Financial years 2012-13 to 2016-17.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that Rajasthan State Pollution Control Board -

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

(Notification No. 34 /2015 F.No.196/38/2012-ITA.1)



(Deepshikha Sharma)
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Ms. Kelle
1574/15-

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-11, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 अप्रैल, 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्ता शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राजस्थान राज्य विधायन के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अंतर्गत गठित 'राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड', को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

- (क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) लाइसेंस फीस और जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि;
- (ग) सरकारी अनुदानों, लाइसेंस फीस और जुर्माने पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :-

- (क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;
- (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
- (ग) अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दाखिल करता है।

(अधिसूचना संख्या.....34...../2015 फा.स.196/38/2012 आयकर नि-1)

दीपशिखा शर्मा
(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।